भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन 2017

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

राष्ट्रपतीय निर्वाचन-2017
के संबंध में पृष्ठभूमि सामग्री

भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि 24 जुलाई, 2017 तक है। इसलिए, नए राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए 24 जुलाई, 2017 से पहले निर्वाचन आयोजित किए जाने हैं। राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उप-धारा (3) के उपबंधों के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना निर्गामी राष्ट्रपति की पदावधि के अवसान से पूर्व साठवें दिन या उसके पश्चात् जारी की जा सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के कार्यक्रम वाली अधिसूचना 25 मई, 2017 के बाद किसी भी दिन जारी की जा सकती है।

संवैधानिक उपबंध:-

2. भारत के राष्ट्रपति (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और (ख) राज्यों की विधान सभाओं [संविधान (सत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य–क्षेत्र सहित] (अनुच्छेद 54) के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। संसद के किसी भी सदन में या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य–क्षेत्र सहित राज्य की विधान सभाओं में नामित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए पात्र नहीं हैं।

3. संविधान (सत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 के जरिए संविधान के अनुच्छेद 54 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में एक संशोधन किया गया था। संशोधित स्पष्टीकरण निम्नलिखित अनुसार है:-

"स्पष्टीकरण – इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में "राज्य" के अन्तर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुडुचेरी संघ राज्य-क्षेत्र शामिल हैं।"

यह विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सा.का.नि. सं. 375(अ.) दिनांक 2 मई 1995 के द्वारा प्रवृत्त हुआ।

4. इस तरह, आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचन का निर्वाचक मंडल अब (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, और (ख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुडुचेरी संघ राज्य–क्षेत्र सहित राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बना होगा।

5. संविधान में यह भी विनिर्धारित किया गया है कि, जहां तक साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता होगी (अनुच्छेद 55)। राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य जितने मत देने के हकदार हैं उनके मान का अवधारण करने के लिए संविधान में प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर आधारित एक फार्मूला दिया गया है।

6. संविधान **(**चौरासीवां**)** संशोधन अधिनियम, **2001** में यह उपबंध किया गया है कि जब तक कि वर्ष **2026** के बाद की जाने वाली पहली जनगणना के संबंधित जनसंख्या आंकड़ों को प्रकाशित नहीं कर दिया जाता तब तक राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए मतों के मान के परिकलन के प्रयोजनार्थ राज्यों की जनसंख्या का अर्थ **1971**-जनगणना में यथा-अभिनिश्चित जनसंख्या से होगा।

निदर्शन

आंध्र प्रदेश की कुल जनसंख्या **(1971** जनगणना**)**	:	**2,78,00,586**
राज्य विधान सभा में निर्वाच्य स्थानों की कुल सं**.**	:	**175**
प्रत्येक सदस्य के लिए मतों की सं**.**	:	**2,78,00,586**

1000x175
=158.8605
=159

7. प्रत्येक राज्य विधान सभा के कुल सदस्यों के मतों का कुल मान, विधान सभा में निर्वाच्य स्थानों की संख्या को प्रत्येक सदस्य के लिए मतों की संख्या से गुणा करके निकाला जाता है यथा, आंध्र प्रदेश के लिए **1000**x175 = 27,825**.** । प्रति संसद सदस्य मतों का मान हासिल करने के लिए एक साथ जोड़े गए सभी राज्यों के मतों के कुल मान को संसद **(**लोक सभा **543** + राज्य सभा **233)** के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या द्वारा भाग देकर हासिल किया जाता है।

8. **29** राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभाओं के प्रत्येक सदस्य के मतों के मान, उक्त राज्यों में से प्रत्येक के मतों के कुल मान, प्रत्येक संसद सदस्य के मतों के मान, संसद सदस्यों के मतों के कुल मान और राष्ट्रपतीय निर्वाचन, **2017** के लिए निर्वाचक मंडल की सूची में सभी सदस्यों के सकल कुल मान को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट-I** पर देखा जा सकता है।

9. निर्वाचन **आनुपातिक प्रतिनिधित्व** पद्धति के अनुसार **एकल संक्रमणीय मत** के द्वारा आयोजित किया जाएगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त मतपत्र के द्वारा किया जाएगा।

एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति – विस्तृत कार्यविधि

राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, **1974** के नियम **17** में राष्ट्रपतीय निर्वाचन में मतदान करने की रीति दी गई है।

9.1 मतपत्र में कोई भी निर्वाचन प्रतीक नहीं होता है। मतपत्र में दो स्तंभ होंगे। मतपत्र के स्तंभ **1** में शीर्षक **"अभ्यर्थी का नाम"** होता है और स्तंभ **2** में शीर्षक **"अधिमान का क्रम चिह्नित करें"** होता है। स्तंभ **1** में, अभ्यर्थियों के नामों के साथ उनके फोटो भी मुद्रित किए जाएंगे।

9.2 प्रत्येक निर्वाचक के लिए उतने ही अधिमान होंगे जितने कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, लेकिन किसी भी मतपत्र को केवल इसी आधार पर अविधिमान्य नहीं माना जाएगा कि ऐसे सभी अधिमान चिह्नित नहीं किए गए हैं।

9.3 कोई निर्वाचक अपना मत देने में उस अभ्यर्थी के, जिसको वह अपने प्रथम अधिमान के लिए चुनता है, नाम के सामने वाले स्थान में अंक **1** लगा देगा और इसके अतिरिक्त, अपने मतपत्र पर दूसरे अभ्यर्थियों के नामों के सामने वाले स्थानों में अधिमान-क्रम में उतने पश्चातवर्ती अधिमान जिसे वह चाहता है, **2,3,4** और इसी प्रकार के अन्य अंक लगाकर, चिह्नित कर सकेगा। अंक भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में या रोमन रूप में या किसी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में चिह्नित किए जा सकेंगे, **किन्तु शब्दों में उपदर्शित नहीं किए जाएंगे।**

मतों का मान

9.4 प्रत्येक निर्वाचक के मत का मान पूर्व-अवधारित होता है जैसाकि **परिशिष्ट- I** पर विवरण से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मान **708** है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मान **208** है और सिक्किम के प्रत्येक सदस्य का **7** है। इस तरह, प्रत्येक विधान सभा के सदस्यों के लिए मतों के मान में अंतर है। प्रत्येक मत के ये मान प्रत्येक मतपत्र पर, राज्यवार अलग से मुद्रित और संसद के लिए, निर्दिष्ट हैं।

9.5 मतों की गणना करते समय रिटर्निंग अधिकारी मतों की गणना, जहां तक प्रत्येक विधान सभा के सदस्यों द्वारा डाले गए मतों का संबंध है, राज्यवार और संसद सदस्यों का एक लॉट में, करते हैं।

9.6 रिटर्निंग अधिकारी पहले मतपत्रों की संवीक्षा करते हैं और यदि विधिमान्य पाए गए तो विधिमान्य मतपत्र को उस अभ्यर्थी के निमित्त वाली ट्रे में रखते हैं जिसे प्रथम अधिमान चिह्नित किया गया था। एक राज्य के मतपत्रों का वितरण करने के बाद रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी के नामे डाले गए विधिमान्य मतपत्रों का योग निकालते हैं और इन योगों का प्रत्येक मत के मान से गुणा किया जाता है और वह योग प्राप्त मतों के कुल मान के रूप में अभ्यर्थी के नामे किया जाता है। प्रत्येक राज्य की विधान सभा के सदस्यों और संसद के सदस्यों द्वारा मत डाले गए विधिमान्य मतपत्रों का इस तरह वितरण करने के बाद रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त विधिमान्य मतों के मान का योग करते हैं।

निर्वाचन के लिए कोटा

9.7 प्रत्येक अभ्यर्थी को मिले मतों के कुल मान का परिकलन करने के बाद रिटर्निंग अधिकारी पड़े सभी विधिमान्य मतों के मान का योग निकालते हैं। किसी अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करने के लिए कोटा विधिमान्य मतों में **2** से भाग देकर और भागफल में **1** जोड़कर, यदि कोई शेष हो तो उसे गिनती में न लेकर, अवधारित किया जाता है। उदाहरण के लिए, माना जाए कि सभी अभ्यर्थियों को पड़े विधिमान्य मतों का कुल मान **1,00,001** है। निर्वाचित होने के लिए अपेक्षित कोटा है:-

$$\frac{1,00,001}{2} + 1 = 50,000.50 + 1 \text{ (.50 को गिनती में न लें)}$$

कोटा = **50,000 + 1 = 50,001**

9.8 कोटा अभिनिश्चित करने के बाद रिटर्निंग अधिकारी को यह देखना है कि क्या किसी अभ्यर्थी ने उसके द्वारा प्राप्त प्रथम वरीयता मतों के कुल मान के आधार पर निर्वाचित घोषित होने के लिए कोटा हासिल कर लिया है।

9.9 यदि प्रथम वरीयता मतों के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी कोटा हासिल नहीं करता है तो रिटर्निंग अधिकारी मतगणना के दूसरे दौर की तरफ बढ़ते हैं जिसके दौरान प्रथम वरीयता के मतों के न्यूनतम मान वाले अभ्यर्थी को बाहर कर दिया जाता है और उसके मतों को इन मतपत्रों पर चिह्नित द्वितीय वरीयता के अनुसार शेष अभ्यर्थियों में वितरित किया जाता है। बने रहने वाले अन्य अभ्यर्थी, बाहर कर दिए गए अभ्यर्थी के मतों को उसी मान में प्राप्त करते हैं जिसमें उन्होंने उन्हें मतगणना के पहले दौर में हासिल किया था।

9.10 रिटर्निंग अधिकारी मतगणना के पश्चातवर्ती दौरों में मतों की न्यूनतम संख्या वाले अभ्यर्थियों को तब तक बाहर करना जारी रखेंगे जब तक कि बने रहने वाले अभ्यर्थियों में से कोई एक अपेक्षित कोटा हासिल न कर ले या तब तक, जब तक कि मैदान में केवल एक ही अभ्यर्थी न रह जाए और वह उसे निर्वाचित घोषित कर देगा।

निर्वाचन के लिए पात्रता

10. कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह-

(1) भारत का नागरिक है,

(2) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है; और

(3) लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है **(**अनुच्छेद **58)**

11. कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।

12. हालांकि, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।

13. निर्वाचन के संबंध में विस्तृत उपबंध, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, **1952(1952** की संख्या **31)** और उसके अधीन बनाए गए नियमों यथा "राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, **1947**" में निहित हैं।

पूर्व निर्वाचन

14. वर्ष **2017** में होने वाले राष्ट्रपतीय निर्वाचन राष्ट्रपति पद के लिए ऐसे निर्वाचनों के **15**वें निर्वाचन होंगे। इस पद के लिए ऐसे ही पूर्व निर्वाचन वर्ष 1952,1957,1962,1967,1969,1974,1977,1982,1987,1992,1997,2002,2007, और वर्ष 2012 में हुए थे। ऐसे पूर्व निर्वाचनों के प्रत्येक के ब्योरे का सार **परिशिष्ट-III** में दिया गया है।

15. पूर्व में वर्ष **1952**, **1957**, **1962**, **1967**, और **1969** में आयोजित राष्ट्रपति पद के पांच निर्वाचनों के अनुभव से यह पता चलता है कि कुछ व्यक्तियों ने स्वयं को राष्ट्रपति पद के लिए अभ्यर्थियों के रूप में प्रस्तावित किया था जबकि उनके निर्वाचित होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी। चिंता का अन्य विषय था वह आचरण जिसके अनुसार कुछ व्यक्ति राष्ट्रपति पद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए न्यायालय में पहुंचे थे।

16. इन कमियों का निवारण करने के उद्देश्य से आयोग ने बहुत सी सिफारिशें की जिनके परिणामस्वरूप, संसद ने "राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन**(**संशोधन**)** अधिनियम, **1974(1974** का **5)**" अधिनियमित किया। राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, **1952** को और आगे संशोधित करने के लिए दिनांक **05** जून, **1997** को एक अध्यादेश लागू किया गया जिसे बाद में अधिनियम में परिवर्तित कर दिया गया। इन अधिनियमों द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के तरीके और प्रणाली के संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण उपबंधों की शुरूआत की गई। केन्द्रीय सरकार ने निर्वाचन आयोग के परामर्श से **1952** के नियमों को प्रतिस्थापित करके " राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, **1974**" का एक नया सेट जारी किया। केन्द्रीय सरकार ने विधि एवं न्याय मंत्रालय की दिनांक **06.06.1997** की अधिसूचना सं. एफ **13(1)/97**-विधिक।। के द्वारा इन नियमों में और संशोधन किया। विधि में कुछेक महत्वपूर्ण संशोधन निम्नलिखित हैं**:**

16.। एक प्रत्याशित राष्ट्रपतीय अभ्यर्थी का नाम निर्देशन-पत्र कम से कम **50** निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावक के रूप में और कम से कम पचास निर्वाचकों द्वारा अनुमोदक के रूप में समर्थित होना चाहिए। प्रत्याशित उप-राष्ट्रपति पद के लिए अभ्यर्थी के मामले में नाम निर्देशन-पत्र को कम से कम **20** निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावक तथा कम से कम **20** निर्वाचकों द्वारा अनुमोदक के रूप में समर्थित होना चाहिए। कोई भी निर्वाचक एक ही निर्वाचन में एक से अधिक नाम निर्देशन-पत्र पर प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में अपना समर्थन नहीं देगा और यदि वह ऐसा करता है तो प्रथम दस्तावेज को छोड़कर अन्य किसी भी दस्तावेज पर उसके हस्ताक्षर निष्प्रभावी होंगे।

16.2 किसी भी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से न तो चार से अधिक नाम निर्देशन-पत्र भरे जाएंगे और न ही रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उन्हें स्वीकार ही किया जाएगा।

16.3 प्रत्याशित अभ्यर्थी को प्रतिभूति जमा के रूप में पन्द्रह हजार रूपये की धनराशि जमा करनी चाहिए। ऐसे निर्वाचनों में जहां मतदान हो चुके हैं और यदि अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं हुआ है तथा ऐसे अभ्यर्थी के लिए डाले गए वैध मतों की संख्या ऐसे निर्वाचन में अभ्यर्थी की विजय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मतों के छठवें हिस्से से अधिक न हो तो यह धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

16.4 ऐसे निर्वाचन में किसी भी अभ्यर्थी या याचिकाकर्ता के रूप में **20** या उससे अधिक निर्वाचकों द्वारा एक साथ और उप-राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के मामले में ऐसे निर्वाचन में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा या याचिकाकर्ता के रूप में दस या उससे अधिक निर्वाचक एक साथ उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के प्रकाशन के **30** दिनों के अंदर राष्ट्रपति पद के प्रश्नाधीन निर्वाचन पर निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जाएगी।

निर्वाचक मंडल

17. राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, **1974** के नियम **40** के अधीन, निर्वाचन आयोग के लिए यह अपेक्षित है कि अनुच्छेद **54** में संदर्भित निर्वाचक मंडल के सदस्यों की सूची का, उनके अद्यतित पते सहित, रख-रखाव करे।

18. सूची में, राज्य सभा,लोक सभा के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधान सभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचित सदस्यों के नाम इसी क्रम में होंगे। नामों को सतत क्रम में क्रमांकित किया

जाएगा। नामों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। जिन सदस्यों के संबंध में उचित न्यायालय अर्थात् उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा उनके निर्वाचनों पर रोक लगाने के आदेश के प्रचालन पर सीमित स्थगन लगाया गया है, वे निर्वाचनों में मत डालने के हकदार नहीं होंगे भले ही उनका नाम निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया हो। राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की सूची मई, **2017** में सार्वजनिक बिक्री के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी।

नाम निर्देशन और प्रतिभूति जमा

19. विधिमान्य नाम-निर्देशन के लिए निम्नलिखित अर्हताएं और अपेक्षाएं पूरी की जानी चाहिए**:**

19.1 **(**क**)** अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए;
(ख**)** उसने **35** वर्ष की आयु पूरी कर ली हो ;
(ग**)** वह लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन लड़ने के लिए अर्हता प्राप्त होना चाहिए; और
(घ**)** वह भारत में किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में
रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।

अभ्यर्थी को भारत सरकार अथवा राज्य सरकार या किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण बशर्ते कि वह उक्त किसी भी सरकार के नियंत्रण में हो, के अधीन कोई भी लाभ का पद धारित नहीं किया हुआ होना चाहिए।

19.2 निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी का नाम निर्देशन-पत्र निर्धारित प्रपत्र **(1974** नियम के साथ संलग्न फॉर्म **2)** में होगा जिस पर प्रस्तावक के रूप में कम से कम **50** निर्वाचकों तथा कम से कम **50** निर्वाचकों का अनुमोदक के रूप में समर्थन होगा। नाम निर्देशन-पत्र को अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अथवा उसके किसी प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

19.3 निर्वाचन के लिए **15,000/-** रूपये की प्रतिभूति नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा कराना भी अपेक्षित होगा। यह राशि या तो नाम-निर्देशन पत्र के प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग अधिकारी को नकद रूप में जमा कराई जा सकती है अथवा ऐसी कोई रसीद दिखाई जा सकती है कि अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से यह राशि भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में जमा करा दी गई है और इसे नाम निर्देशन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रतिभूति जमा, को किसी अन्य रूप यथा चैक, डिमांड ड्राफ्ट इत्यादि में जमा नहीं कराया जा सकता है।

19.4 प्रत्येक नाम निर्देशन-पत्र के साथ, अभ्यर्थी के संबंध में जहां वह निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति लगी होगी।

19.5 कोई भी निर्वाचक, एक ही निर्वाचन में, एक से अधिक नाम निर्देशन-पत्र पर प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में समर्थन नहीं देगा और यदि वह ऐसा करता है तो उसके हस्ताक्षर उन दस्तावेजों को छोड़कर जो उसने पहली बार रिटर्निंग अधिकारी को सौंपे थे, अन्य दस्तावेजों पर निष्प्रभावी हो जाएंगे।

19.6 रिटर्निंग अधिकारी कोई भी नाम निर्देशन-पत्र केवल इस प्रयोजनार्थ नियत दिवसों पर ही **(**बीच में आने वाले सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर**)** पूर्वाह्न **11:00** बजे से अपराह्न **03:00** बजे तक ही स्वीकार करेंगे।

कुल निर्वाचक

20. वर्ष **2017** में राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में सदस्यों की कुल संख्या **4896** है जो निम्नलिखित अनुसार है:-

	सदन	सीटें
()	राज्य सभा	**233**
()	लोक सभा	**543**
()	राज्य विधान सभा	**4120**
	कुल	**4896**

रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी

21. परिपाटी के अनुसार महासचिव, लोक सभा और महासचिव, राज्यसभा को रोटेशन द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। वर्ष **2012** के राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए महासचिव, राज्य सभा को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। अत:, वर्ष **2017** के राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए महासचिव, लोक सभा को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। लोक सभा सचिवालय के अन्य दो वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभाओं सहित सभी राज्यों की विधान सभाओं के सचिवों और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी को भी सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

22. आयोग यथा व्यवहार्य रूप से, दोनो सदनों और राज्य विधान सभाओं की रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठा रहा है ताकि वर्ष **2017** के राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की सूची यथासंभव रूप से पूरी की जा सके।

23. वर्ष **2012** के दौरान राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए कार्यक्रम निम्नलिखित अनुसार था:

()	अधिसूचना जारी करना	**16.06.2012 (**शनिवार**)**
()	नाम निर्देशनों की अंतिम तारीख	**30.06.2012 (**शनिवार**)**
()	नाम निर्देशन की संवीक्षा	**02.07.2012 (**सोमवार**)**
()	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की तारीख	**04.07.2012 (**बुधवार**)**
()	मतदान की तारीख	**19.07.2012 (**गुरूवार**)**
()	मतगणना	**22.07.2012 (**रविवार**)**

24. राष्ट्रपतीय निर्वाचन, **2017** के लिए कार्यक्रम विधिवत समय पर अधिसूचित कर दिया जाएगा। विवरण पिछले **14** राष्ट्रपतीय निर्वाचनों के संबंध में कार्यक्रम **परिशिष्ट-II** पर दर्शाया गया है।

मतदान स्थल

25. मतदान स्थल के रूप में सामान्यत:, नई दिल्ली में संसद भवन में एक कक्ष और सभी राज्य विधान सभा सचिवालयों में एक-एक कक्ष नियत किया जाता है। सांसद, सामान्यत: नई दिल्ली में मतदान करते हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र सहित राज्य विधान सभाओं के सदस्य प्रत्येक राज्य की राजधानी में नियत स्थल पर मतदान करते हैं। तथापि, आयोग द्वारा किसी भी सांसद को ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं कि वह राज्य की राजधानी में मतदान कर सके तथा इसी प्रकार यदि किसी सदस्य को मतदान वाले दिन अपरिहार्यत: दिल्ली में ही

रूकना पड़े तो उसे संसद भवन में स्थापित मतदान बूथ पर मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। यद्यपि, इस प्रकार के प्रयोजन कि सदस्य उसको निर्दिष्ट किए गए स्थान के अतिरिक्त कहीं ओर मतदान करना चाहता है, की विधिवत सूचना, आयोग को अग्रिम रूप से दी जाए ताकि आवश्यक व्यवस्थाएं की जा सकें।

निर्वाचन संबंधी विवाद

26. (i) राष्ट्रपति पद के लिए प्रश्नाधीन निर्वाचन के संबंध में अपेक्षित याचिका को ऐसे निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी द्वारा या **20** या इससे अधिक निर्वाचकों द्वारा एक साथ याचिकाकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) भारत के उच्चतम न्यायालय के पास किसी निर्वाचन याचिका पर मुकद्दमों की सुनवाई करने का क्षेत्र अधिकार है।

(iii) निर्वाचन याचिका को निर्वाचित अभ्यर्थी के नाम वाली घोषणा के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से **30** दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा।

अभ्यर्थी के जमा की जब्ती या उसे लौटाना

27. यदि अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं होता है और उसके द्वारा प्राप्त मत, ऐसे निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी की विजय के लिए आवश्यक मतों की संख्या के छठवें भाग से अधिक नहीं है तो उसकी जमाराशि जब्त कर ली जाएगी। अन्य मामलों में जमा को अभ्यर्थी को वापस लौटा दिया जाएगा।

<u>परिशिष्ट–I</u>

राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017

भारत के संविधान के अनुच्छेद 55(2) के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधान सभाओं और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मतों के मूल्य का विवरण

क्रम. सं.	राज्य का नाम	विधान सभा सीटों की संख्या (निर्वाचित)	जनसंख्या (1971 जनगणना)	प्रत्येक विधान सभा सदस्य के मत का मूल्य	राज्य के लिए मतों का कुल मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आन्ध्र प्रदेश	175	27800586	159	159 X 175 = 27825

2.	अरूणाचल प्रदेश	60	467511	8	008 X 060 = 480
3.	असम	126	14625152	116	116 X 126 = 14616
4.	बिहार	243	42126236	173	173 X 243 = 42039
5.	छत्तीसगढ़	90	11637494	129	129 X 090 = 11610
6.	गोवा	40	795120	20	020 X 040 = 800
7.	गुजरात	182	26697475	147	147 X 182 = 26754
8.	हरियाणा	90	10036808	112	112 X 090 = 10080
9.	हिमाचल प्रदेश	68	3460434	51	051 X 068 = 3468
10.	जम्मू-कश्मीर*	87	6300000	72	072 X 087 = 6264
11.	झारखण्ड	81	14227133	176	176 X 081 = 14256
12.	कर्नाटक	224	29299014	131	131 X 224 = 29344
13.	केरल	140	21347375	152	152 X 140 = 21280
14.	मध्य प्रदेश	230	30016625	131	131 X 230 = 30130
15.	महाराष्ट्र	288	50412235	175	175 X 288 = 50400
16.	मणिपुर	60	1072753	18	018 X 060 = 1080
17.	मेघालय	60	1011699	17	017 X 060 = 1020
18.	मिजोरम	40	332390	8	008 X 040 = 320
19.	नागालैंण्ड	60	516449	9	009 X 060 = 540
20.	ओडिसा	147	21944615	149	149 X 147 = 21903
21.	पंजाब	117	13551060	116	116 X 117 = 13572
22.	राजस्थान	200	25765806	129	129 X 200 = 25800
23.	सिक्किम	32	209843	7	007 X 032 = 224
24.	तमिलनाडु	234	41199168	176	176 X 234 = 41184

25.	तेलंगाना	119	15702122	132	132 X 119 = 15708
26.	त्रिपुरा	60	1556342	26	026 X 060 = 1560
27.	उत्तराखण्ड	70	4491239	64	064 X 070 = 4480
28.	उत्तर प्रदेश	403	83849905	208	208 X 403 = 83824
29.	पश्चिम बंगाल	294	44312011	151	151 X 294 = 44394
30.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	70	4065698	58	058 X 070 = 4060
31.	पुडुचेरी	30	471707	16	016 X 030 = 480
	कुल	**4120**	**549302005**		**= 549495**

* संविधान (जम्मू-कश्मीर के लिए प्रयोज्य) आदेश

(क) संसद के सदस्यों के प्रत्येक मत का मूल्य

कुल सदस्य

लोक सभा (543) + राज्य सभा (233) = 776

$$\text{प्रत्येक मत का मूल्य} = \frac{5,49,495}{776} = 708$$

(ख) संसद के 776 सदस्यों के मतों का कुल मूल्य = 708 X 776 = 5,49,408

(ग) राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए कुल निर्वाचक = विधान सभा सदस्य (4120) + संसद सदस्य (776) = 4896

(घ) राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए
4896 निर्वाचनों के मतों का कुल मूल्य = 5,49,495 + 5,49,408 = 10,98,903

परिशिष्ट-।।

राष्ट्रपतीय निर्वाचन हेतु
वर्ष 1952 से 2012 तक के निर्वाचन कार्यक्रम

क्रम सं.	निर्वाचन का वर्ष	अधिसूचना की तारीख	नाम निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तिथि	संवीक्षा की तारीख	अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि	मतदान की तारीख एवं समय	मतगणना की तारीख
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1952	04-04-1952	12-04-1952	14-04-1952	17-04-1952	02-05-1952 11 बजे पूर्वाह्न से.-5 बजे अपराह्न तक.	06-05-1952
2.	1957	06-04-1957	16-04-1957	17-04-1957	20-04-1957	06-05-1957 10 बजे पूर्वाह्न से.-5 बजे अपराह्न तक,	10-05-1957
3.	1962	06-04-1962	16-04-1962	18-04-1962	21-04-1962	07-05-1962 10 बजे पूर्वाह्न से.-5 बजे अपराह्न तक,	11-05-1962
4.	1967	03-04-1967	13-04-1967	15-04-1967	18-04-1967	06-05-1967 10 बजे पूर्वाह्न से.-5 बजे अपराह्न तक,	09-05-1967
5.	1969	14-07-1969	24-07-1969	26-07-1969	29-07-1969	16-08-1969 10 बजे पूर्वाह्न से.-5 बजे	20-08-1969

						अपराह्न तक,	
6.	1974	16-07-1974	30-07-1974	31-07-1974	02-08-1974	17-08-1974 10 बजे पूर्वाह्न से.-5 बजे अपराह्न तक,	20-08-1974
7.	1977	04-07-1977	18-07-1977	19-07-1977	21-07-1977	06-08-1977 10 बजे पूर्वाह्न से.-5 बजे अपराह्न तक,	निर्विरोध चुने गए
8.	1982	09-06-1982	23-06-1982	24-06-1982	26-06-1982	12-07-1982 10 बजे पूर्वाह्न से.-5 बजे अपराह्न तक,	15-07-1982
9.	1987	10-06-1987	24-06-1987	25-06-1987	27-06-1987	13-07-1987 10 बजे पूर्वाह्न से.-5 बजे अपराह्न तक,	16-07-1987
10.	1992	10-06-1992	24-06-1992	25-06-1992	27-06-1992	13-07-1992 10 बजे पूर्वाह्न से.-5 बजे अपराह्न तक,	16-07-1992
11.	1997	09-06-1997	23-06-1997	24-06-1997	26-06-1997	14-07-1997 10 बजे पूर्वाह्न से.-5 बजे अपराह्न तक,	17-07-1997
12.	2002	11-06-2002	25-06-2002	26-06-2002	28-06-2002	15-07-2002 10 बजे पूर्वाह्न	18-07-2002

						से.-5 बजे अपराह्न तक,	
13.	2007	16-06-2007	30-06-2007	02-07-2007	04-07-2007	19-07-10 बजे पूर्वाह्न से.-5 बजे अपराह्न तक, 2007	21-07-2007
14.	2012	16-06-2012	30-06-2012	02-07-2012	04-07-2012	19-07-2016 10 बजे पूर्वाह्न से.-5 बजे अपराह्न तक,	22-07-2012

<u>परिशिष्ट-III</u>

राष्ट्रपतीय निर्वाचन
वर्ष 1952 से 2012 तक

ब्रीफ नोट

प्रथम राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1952

रिटर्निंग अधिकारी:

श्री एम.एन.कौल, संसद सचिव

सहयक रिटर्निंग अधिकारी:

विभिन्न राज्य विधान सभाओं के सचिव

निर्वाचन कार्यक्रम

1.	अधिसूचना की तारीख	04-04-1952
2.	नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि	12-04-1952
3.	नाम निदेशनों की संवीक्षा	14-04-1952
4.	अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख	17-04-1952
5.	मतदान की तारीख	02-05-1952 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 5.00 तक)
6.	मतों की गणना	06-05-1952

निर्वाचक मण्डल

निर्वाचक मण्डल में लोक सभा, राज्य सभा और **23** राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य थे। कुल निर्वाचक **4,056** थे।

प्रत्येक सदस्य हेतु मतों की संख्या

संसद के प्रत्येक सदस्य के पास **494** मत थे और राज्य विधान सभाओं के प्रत्येक सदस्य के लिए मतों की संख्या विभिन्न राज्यों की जनसंख्या के आधार पर अलग-अलग थी। कूर्ग राज्य के विधायकों के लिए मतों का मूल्य न्यूनतम **(7)** था और उत्तर प्रदेश के सांसदों के लिए मतों का मूल्य अधिकतम **(143)** था। मतों के मूल्य की गणना वर्ष **1951** की जनगणना पर आधारित थी। .

अभ्यर्थी

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उनके द्वारा प्राप्त किए गए मत निम्नानुसार थे: -

	अभ्यर्थी	प्राप्त किए गए मत
1.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	5,07,400
2.	श्री के.टी.शाह	92,827

3.	श्री थाट्टे लक्ष्मण गणेश	2,672
4.	श्री हरि राम	1,954
5.	श्रीमती कृष्णा कुमार चटर्जी	533
	कुल	6,05,386

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को निर्वाचित घोषित कर दिया गया और यह घोषणा करने वाली अधिसूचना **06.05.1952** को प्रकाशित की गई थी। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने भारत के राष्ट्रपति का पद दिनांक **13.05.1952** को ग्रहण कर लिया था।

द्वितीय राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1957

राष्ट्रपति के रुप में डॉ राजेन्द्र प्रसाद का कार्यकाल दिनांक **12.05.1957** को समाप्त हो गया था। उस तारीख से पहले राष्ट्रपति पद के लिए एक निर्वाचन आयोजित किया गया।

रिटर्निंग अधिकारी

श्री एस. एन. मुखर्जी, सचिव राज्य सभा।

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

राज्य सभा के दो अवर सचिव तथा विभिन्न राज्य विधान सभाओं के सचिव।

निर्वाचन कार्यक्रम

1.	**अधिसूचित करने की तारीख**	06.04.1957
2.	नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख	**16.04.1957**
3.	नाम-निर्देशनों की संवीक्षा	**17.04.1957**
4.	नाम वापिस लेने की अंतिम तारीख	**20.04.1957**
5.	मतदान की तारीख	**06.05.1957**(पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक)
6.	मतों की गणना	**10.05.1957**

निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मंडल में लोक सभा, राज्य सभा तथा **14** राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित थे।

प्रत्येक सदस्य के लिए मतों की संख्या

प्रत्येक संसद सदस्य के **496** मत थे तथा राज्य विधान सभाओं के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या उनके राज्य की जनसंख्या के आधार पर भिन्न-भिन्न थी। मतों का न्यूनतम मूल्य जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान सभा सदस्यों का **(59)** था तथा मतों का उच्चतम मूल्य उत्तर प्रदेश राज्य के विधान सभा सदस्यों का **(147)** था। मतों के मूल्य की गणना **1951** की जनगणना के आधार पर की गई थी।

अभ्यर्थी

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी तथा उनके द्वारा प्राप्त किए गए मत निम्नानुसार थे:-

	अभ्यर्थी	प्राप्त किए गए मत
1.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	**4,59,698**
2.	श्री नागेन्द्र नारायण दास	**2,000**
3.	चौधरी हरी राम	**2,672**
	कुल	**4,64,370**

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वितीय कार्यकाल के लिए निर्वाचित घोषित किए गए तथा इसकी घोषणा की अधिसूचना दिनांक **10.05.1957** को प्रकाशित की गई थी।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने दिनांक **13.05.1957** को भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया था।

तृतीय राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1962

राष्ट्रपति के रुप में डॉ राजेन्द्र प्रसाद का द्वितीय कार्यकाल दिनांक **12.05.1962** को समाप्त हो गया था। उस दिनांक से पहले राष्ट्रपति पद के लिए एक निर्वाचन आयोजित किया गया।

रिटर्निंग अधिकारी

लोक सभा सचिव।

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

उप सचिव, लोक सभा सचिवालय तथा विभिन्न राज्य विधान सभाओं के सचिव।

निर्वाचन कार्यक्रम

1.	अधिसूचित करने की तारीख	**06.04.1962**
2.	नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख	**16.04.1962**
3.	नाम-निर्देशनों की संवीक्षा	**18.04.1962**
4.	नाम वापिस लेने की अंतिम तारीख	**21.04.1962**
5.	मतदान की तारीख	**07.05.1962(**पूर्वाह्न **10** बजे से अपराह्न **4** बजे तक**)**
6.	मतों की गणना	**11.05.1962**

निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मंडल में लोक सभा, राज्य सभा तथा **15** राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित थे।

प्रत्येक सदस्य के लिए मतों की संख्या

प्रत्येक संसद सदस्य के **493** मत थे तथा राज्य विधान सभाओं के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या उनके राज्य की जनसंख्या के आधार पर भिन्न-भिन्न थी। मतों का न्यूनतम मूल्य जम्मू-कश्मीर राज्य के विधायकों के लिए**(59)** था तथा मतों का उच्चतम मूल्य उत्तर प्रदेश राज्य के विधायकों के लिए**(147)** था। मतों के मूल्य की गणना **1951** की जनगणना के आधार पर की गई थी चूंकि वर्ष **1961** के जनगणना आंकड़े अंतिम रुप से प्रकाशित नहीं हुए थे।

अभ्यर्थी

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी तथा उनके द्वारा प्राप्त किए गए मत निम्नानुसार थे:-

	अभ्यर्थी	प्राप्त किए गए मत
1.	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	**5,53,067**
2.	चौधरी हरी राम	**6,341**
3.	श्री यमुना प्रसाद त्रिशूलिया	**3,537**
	कुल	**5,62,945**

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन निर्वाचित घोषित किए गए तथा इसकी घोषणा की अधिसूचना दिनांक **13.05.1962** को प्रकाशित कर दी गई थी।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दिनांक **13.05.1962** को भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया था।

चौथा राष्ट्रपतीय निर्वाचन,1967

राष्ट्रपति के रुप में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल दिनांक **12.05.1967** को समाप्त हो गया था। उस तारीख से पहले राष्ट्रपति पद के लिए एक निर्वाचन आयोजित किया गया।

रिटर्निंग अधिकारी

राज्य सभा सचिव।

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

उप सचिव, राज्य सभा सचिवालय तथा विभिन्न राज्य विधान सभाओंके सचिव।

जम्मू-कश्मीर राज्य में दो स्थानों पर मतदान करवाने का निर्णय लिया गया था अर्थात्जम्मू तथा श्रीनगर में। अत:, विधान सभा सचिवालय के सचिव के अलावा जम्मू-कश्मीर में विधान सभा सचिवालय के अवर सचिव को भी सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रुप में नियुक्त किया गया था।

निर्वाचन कार्यक्रम

1.	अधिसूचित करने की तारीख	**03.04.1967**
2.	नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख	**13.04.1967**
3.	नाम-निर्देशनों की संवीक्षा	**15.04.1967**
4.	नाम वापिस लेने की अंतिम तारीख	**18.04.1967**
5.	मतदान की तारीख	**06.05.1967**(पूर्वाह्न **10** बजे से अपराह्न **4** बजे तक)
6.	मतों की गणना	**09.05.1967**

निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मंडल में लोक सभा **(520)**, राज्य सभा **(228)** तथा **17** राज्य विधान सभाओं **(3383)** के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित थे। अत: कुल निर्वाचक **4,131** थे।

प्रत्येक सदस्य के लिए मतों की संख्या

प्रत्येक संसद सदस्य के **576** मत थे तथा राज्य विधान सभाओं के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या उनके राज्य की जनसंख्या के आधार पर भिन्न भिन्न थी। मतों का न्यूनतम मूल्य नागलैंड राज्य के विधायकों के लिए**(08)** था तथा मतों का उच्चतम मूल्य उत्तर प्रदेश राज्य के विधायकों के लिए**(174)** था। मतों के मूल्य की गणना **1961** की जनगणना के आधार पर की गई थी।

अभ्यर्थी

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी तथा उनके द्वारा प्राप्त किए गए मत निम्नानुसार थे:-

	अभ्यर्थी	प्राप्त किए गए मत
1.	डॉ. जाकिर हुसैन	**4,71,244**

2.	श्री कोटा सुब्बाराव	**3,63,971**
3.	श्री खूबी राम	1,369
4.	श्री यमुना प्रसाद त्रिशूलिया	750
5.	श्री भामबुरकर श्रीनिवास गोपाल	232
6.	श्री ब्रह्मा देव	232
7.	श्री कृष्णा कुमार चटर्जी	125
8.	श्री कुमार कमला सिंह	125
9.	श्री चन्द्रदत्त सेनानी	0
10.	श्री यू.पी. चुगनी	0
11.	डा. एम.सी. डावर	0
12.	चौधरी हरी राम	0
13.	डॉ. मान सिंह	0
14.	श्रीमती मनोहरा होलकर	0
15.	श्री मोतीलाल भीकाभाई पटेल	0
16.	श्री सीतारमैया रामास्वामी शर्मा होयसाला	**0**
17.	श्री सत्यभक्त	0
	कुल	8,38,048

डॉ. जाकिर हुसैन निर्वाचित घोषित किए गए तथा इसकी घोषणा की अधिसूचना दिनांक **09.09.1967** को प्रकाशित की गई थी। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति का पद दिनांक **09.09.1967** को ग्रहण कर लिया था।

पांचवा राष्ट्रपतीय निर्वाचन,1969

डा. जाकिर हुसैन, भारत के तीसरे राष्ट्रपति का **03-05-1969** को अचानक देहांत हो गया था। संविधान के अनुच्छेद **65(1)** के अधीन, उप-राष्ट्रपति श्री वी.वी.गिरी ने राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभाला। यद्यपि, श्री वी.वी.गिरी ने दिनांक **20** जुलाई, **1969** को उप-राष्ट्रपति तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से भी त्याग पत्र दे दिया। संविधान के अनुच्छेद **62(2)** के अनुसार, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग-पत्र आदि के कारण होने वाली राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए, रिक्ति होने की तारीख से **6** महीने के भीतर किसी भी अवस्था में निर्वाचन करवाया जाना अपेक्षित है इसलिए निर्वाचन आयोजित करवाने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाए गए थे।

रिटर्निंग अधिकारी

सचिव, लोक सभा।

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

लोक सभा के एक उप सचिव तथा विभिन्न राज्य विधान सभाओं के सचिव।

निर्वाचन कार्यक्रम

1.	अधिसूचित करने की तारीख	**14.07.1969**
2.	नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख	**24.07.1969**
3.	नाम-निर्देशनों की संवीक्षा	**26.07.1969**
4.	नाम वापिस लेने की अंतिम तारीख	**29.07.1969**
5.	मतदान की तारीख	**16.08.1969 (**पूर्वाह्न **10** बजे से अपराह्न **05** बजे तक**)**
6.	मतों की गणना	**20.08.1969**

अभ्यर्थी

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी तथा उनके द्वारा प्राप्त किए गए मत निम्नानुसार हैं:-

	अभ्यर्थी	डाले गए मत
1.	श्री वी.वी. गिरी	**4,01,515**
2.	श्री नीलम संजीवा रेड्डी	**3,13,548**
3.	श्री सी.डी. देशमुख	**1,12,769**
4.	श्री चन्द्रदत्त सेनानी	**5,814**
5.	श्रीमती फुरचरण कौर	**940**
6.	श्री राजाभोज पांडुरंग नाथुजी	**831**
7.	पंडित बाबूलाल माग	**576**
8.	चौ. हरी राम	**125**
9.	श्री शर्मा मनोविहारी अनिरुद्ध	**94**
10.	श्री खूबी राम	शून्य
11.	श्री भागमल	शून्य
12.	श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	शून्य
13.	श्री संतोष कुमार कछवाहा	शून्य
14.	डॉ. रामदुलार त्रिपाठी चकोर	शून्य
15.	श्री रमनलाल पुरुषोत्तम व्यास	शून्य
	कुल	**8,36,337**

निर्वाचन के लिए **4,18,169** मतों का कोटा निश्चित था। जैसा कि उपर्युक्तानुसार किसी भी अभ्यर्थी ने पहली गणना में अपेक्षित कोटा प्राप्त नहीं किया, अभ्यर्थी के बाद अभ्यर्थी को तब तक हटाया जाता रहा जब तक केवल दो अभ्यर्थी अर्थात श्री वी.वी. गिरी **(4,20,077** मतों के साथ**)** तथा श्री नीलम संजीवा रेड्डी **(4,05,427** मतों के साथ**)** मैदान में नहीं रह गए। श्री वी.वी. गिरी जिन्होंने कोटा प्राप्त कर लिया, रिटर्निंग अधिकारी ने दिनांक **20.08.1969** को उन्हें निर्वाचित घोषित कर दिया और नए निर्वाचित राष्ट्रपति ने दिनांक **24.08.1969** को कार्यभार ग्रहण कर लिया।

निर्वाचन की मुख्य विशेषताएं:

1. मतदान की कड़ी गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए पहली बार एक नई शुरूआत की गई। मत पत्र के पीछे की क्रम संख्याओं को चारों कोनों पर कागज की रंगीन पर्ची से कवर किया गया था।
2. मतदान के दौरान मत पत्रों को तीन या चार बार अलटा-पलटा गया ताकि अभ्यर्थियों के एजेंटों को मतगणना के दौरान सदस्यों द्वारा डाले गए मतों की पहचान करने के लिए क्रम संख्याओं को लिखने में कठिनाई हो।
3. उपयुक्त मामलों में पहली बार कुछ विधान सभा सदस्यों को उनकी राज्यीय राजधानी के स्थान पर नई दिल्ली में संसद में अपना मत डालने की अनुमति दी गई थी।
4. मतदान की तारीख तथा मतगणना की तारीख में 4 दिनों को अंतर था। इसके लिए, आयोग की कुछ अनुचित आलोचना की गई थी। ऐसे अंतराल के पीछे अनेक कारण थे। पहला कारण यह था कि निवारक निरोध के अधीन वाले निर्वाचकों के अनेक डाक पत्र थे। वे बाह्य केन्द्रों पर रखे गए थे तथा आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उनके पास अपना मत, मतगणना से पहले रिटर्निंग अधिकारी के पास भेजने का पर्याप्त समय हो। मतयुक्त मत-पेटियों को पूर्वोत्तर के अधिक दूरी के राज्यों जैसे नागालैण्ड एव असम से लेकर आना था तथा अगस्त में इन स्थानों की मौसम परिस्थितियां बेहद खराब एवं प्रतिकूल थी। आयोग लगातार मौसम विज्ञान संबंधी प्राधिकारियों के संपर्क में था। हवाई उड़ान बुरी तरह देरी से चल रही थी या रद्द हो रही थी। अंत में, मत-पेटियों को विशेष सुरक्षा के अंतर्गत सेना कुरियर विमान द्वारा गुवाहाटी से लाया जाना था। वर्ष **1952**, **1957**, **1962**, एवं **1967** में सभी पूर्व राष्ट्रपतीय निर्वाचन मई के पूर्वार्ध में आयोजित किए गए थे जब मौसम परिस्थितियां बहुत अच्छी थी तथा वर्ष **1969** में पहली बार निर्वाचन अगस्त में आयोजित किए जाने थे।
5. यह अभ्यावेदित किया गया था कि अभ्यर्थियों के एजेंटो को विभिन्न राज्यों की राजधानी से उसी विमान से यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए जिसमें मत पत्र युक्त पेटियां दिल्ली लाई जा रही थी। आयोग इस अनुरोध से सहमत हो गया था।
6. आयोग ने नागर विमानन प्राधिकारियों से डाले गए मत युक्त मत पेटियों की सुरक्षा के लिए संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी को विमान में उन्हें अपनी सीट के बिल्कुल नजदीक मुहरबंद मत पेटियों को रखने की अनुमति दिलवाई।
7. अन्य आलोचना इस बात की थी कि मतों को दिल्ली लाए जाने की बजाए उन्हें राज्य की राजधानियों में गिना जाना चाहिए था। ये आलोचक इस बात से अवगत नहीं थे कि मतदान के एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व में निर्णायक परिणाम पर पहुंचने के लिए, विभिन्न स्थानों पर टुकड़ों में मतगणना नहीं कराई जा सकती है।

छठा राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1974

भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्री वी.वी.गिरी का कार्यकाल 23-08-1974 को समाप्त हो गया था। उस तारीख से पहले एक निर्वाचन करवाया गया।

विधि में बदलाव

1952, 1957, 1962, 1967, तथा 1969 में राष्ट्रपति के पद के लिए कराए गए विगत पांच निर्वाचकों के अनुभव से यह पता चला कि राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर निर्वाचित होने की दूरस्थ संभावना के वाबजूद लोगों ने इस पद के लिए अभ्यर्थी के रूप में अपना नाम का प्रस्ताव देते थे। चिन्ता का दूसरा विषय वह हल्कापन था जो राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन को लोग न्यायालय में चुनौती दे देते थे। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए सरकार ने आयोग की संस्तुतियों पर संसद द्वारा 23.03.1974 को एक अधिनियम पारित करवाया जिसमें राष्ट्रपतीय तथा उप-राष्ट्रपतीय अधिनियम 1952 में संशोधन किया गया। संशोधन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

1. राष्ट्रपतीय अभ्यर्थी के नाम निर्देशन पत्र पर प्रस्तावकों के रूप में कम से कम 10 निर्वाचकों द्वारा तथा अनुमोदकों के रूप में कम से कम 10 निर्वाचकों द्वारा हस्ताक्षर होंगे।
2. सुरक्षा जमा राशि रू.2500/- की गई है।
3. निर्वाचन लड़ने वाले किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अथवा याचिकाकर्ता के रूप में संगठित कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा निर्वाचन को चुनौती देने वाली निर्वाचन याचिका केवल उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।
4. राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के पद के निर्वाचनों के लिए समय-सारणी को वैधानिक किया गया। यह प्रावधान किया गया कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन की घोषणा की अधिसूचना के प्रकाशन के 14 दिन बाद होगी। इसकी संवीक्षा नामांकन दाखिल करने की इस अंतिम तिथि के बाद होगी, नामांकन वापिस लेने की अंतिम तिथि संवीक्षा की तिथि के बाद दूसरा दिन होगा और मतदान की तारीख, यदि आवश्यक हो, तो नामांकन वापिस लेने की अंतिम तिथि के बाद पंद्रह दिन से पहले नहीं होगी।

व्यापक संशोधनों के आलोक में, निर्वाचन आयोग के परामर्श से, केन्द्र सरकार ने 1952 के नियमों के बदले में राष्ट्रपतीय तथा उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 का एक नया सैट जारी किया।

रिटर्निंग अधिकारी

सचिव, राज्य सभा

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय तथा विभिन्न राज्य विधान सभाओं के सचिव

निर्वाचक कार्यक्रम

1. अधिसूचना की तारीख **16.07.1974**
2. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख **30.07.1974**
3. नामांकनों की संवीक्षा की तारीख **31.07.1974**
4. अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख **02.08.1974**
5. मतदान की तारीख **17.08.1974** (पूर्वाह्न **10** बजे से अपराह्न **5** बजे तक)
6. मतों की गणना **20.08.1974**

निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मण्डल में लोक सभा **[521]**, राज्य सभा **[230]**, तथा **21** राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य **[3654]**, थे। अत: कुल **4405** निर्वाचक थे। तथापि, **182** सदस्यों वाली गुजरात विधान सभा अस्तित्व में नहीं थी क्योंकि **15.03.1974** को यह विघटित हो गई थी और राष्ट्रपतीय निर्वाचन से पूर्व नए सदन का गठन नहीं हो सका था।

प्रत्येक सदस्य के लिए मतों की संख्या

प्रत्येक संसद सदस्य के **723** मत थे तथा राज्य विधान सभाओं के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या जनसंख्या के आधार पर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग थी। नागालैंण्ड राज्य के विधान सभा सदस्यों के मतों का मूल्य सबसे कम **(09)** था तथा उत्तर प्रदेश के विधान सभा सदस्यों के मतों का मूल्य सर्वाधिक **(208)** था। मतों के मूल्य की गणना **1971** की जनगणना के आधार पर की गई थी।

अभ्यर्थी

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी तथा उनके द्वारा प्राप्त किए गए मत निम्नानुसार थे:

	अभ्यर्थी	**प्राप्त किए गए मत**
1.	श्री फखरूद्दीन अली अहमद	**7,65,587**
2.	श्री त्रिदिब चौधरी	**1,89,196**
	कुल	**9,54,783**

श्री फखरूद्दीन अली अहमद निर्वाचित घोषित किए गए तथा इसकी घोषणा संबंधी अधिसूचना **20.08.1974** को प्रकाशित की गई थी। उन्होंने **24.08.1974** को भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया था।

घोषणा

भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्री फखरूद्दीन अली अहमद के निर्वाचन की घोषणा पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा **20.08.1974** को हस्ताक्षर किए गए थे और इसे **21.08.1974** को गृह सचिव के पास भेजा गया था। गृह सचिव द्वारा **24.08.1974** को नव-निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा पद धारण के समय घोषणा को पढ़ा गया था।

सातवां राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1977

भारत के पांचवे राष्ट्रपति, श्री फखरूद्दीन अली अहमद का **11.02.1977** को आकस्मिक निधन हो गया। उप-राष्ट्रपति, श्री बी.डी जत्ती ने संविधान के अनुच्छेद **65(1)** के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने हेतु कार्यभार ग्रहण किया। श्री फखरूद्दीन अली अहमद की मृत्यु होने के कारण राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए, रिक्ति होने की तारीख से **6** माह के भीतर निर्वाचन कराया जाना अपेक्षित था।

2. रिक्ति को भरने के लिए तत्काल आवश्यक कदम नहीं उठाए गए क्योंकि **10.02.1977** को नई लोक सभा के गठन के लिए साधारण निर्वाचन प्रारम्भ हो गए थे। और **13.05.1977** को निर्वाचन सम्पन्न हो गया था। **11** राज्यों की नई विधान सभाओं का गठन करने के लिए साधारण निर्वाचन जून-जुलाई, 1977 में सम्पन्न किए गए।

रिटर्निंग अधिकारी

सचिव, लोक सभा **(**श्री अवतार सिंह रिखी**)**

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

श्री जे.आर.कपूर, मुख्य विधायी समिति अधिकारी, लोक सभा सचिवालय तथा **22** राज्यों की विधान सभाओं के सचिव।

निर्वाचन कार्यक्रम

1. अधिसूचना की तारीख **04.07.1974**
2. नाम निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तारीख **18.07.1974**
3. नामांकनों की संवीक्षा की तारीख **19.07.1974**
4. नाम वापिस लेने की अंतिम तारीख **21.08.1974**
5. मतदान की तारीख **06.08.1974 (**पूर्वाह्न **10** बजे से अपराह्न **5** बजे तक**)**

निर्वाचक मण्डल

निर्वाचक मण्डल में लोक सभा **[524]**, राज्य सभा **[232]**, तथा **22** राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य **[3776]**, थे। अत: कुल **4532** निर्वाचक थे।

प्रत्येक सदस्य के लिए मतों की संख्या

प्रत्येक संसद सदस्य के **702** मत थे और राज्य विधान सभाओं के प्रत्येक सदस्य के मत जनसंख्या के आधार पर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग थे। सिक्किम राज्य विधान सभा सदस्योंके मतों को मूल्य सबसे कम **(07)** था और उत्तर प्रदेश के विधान सभा सदस्यों के मतों का मूल्य सर्वाधिक **(208)** था। मतों के मूल्य की गणना **1971** की जनगणना के आधार पर की गई थी।

अभ्यर्थी

कुल मिलाकर **37** अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। संवीक्षा के दौरान, रिटर्निंग अधिकारी ने **36** अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए नामांकनों को निरस्त कर दिया। इस प्रकार वैध रूप से नाम निर्देशित अभ्यर्थी केवल, श्री नीलम संजीवा रेड्डी ही मैदान में रह गए। अत: मतदान कराए जाने के लिए न तो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने की और न ही प्रकाशित करने की आवश्यकता हुई।

अपराह्न **3.00** बजे के पश्चात अभ्यर्थिताएं वापिस लेने के लिए नियत अंतिम तारीख अर्थात, **21-07-1977** को रिटर्निंग अधिकारी ने राष्ट्रपतीय तथा उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, **1952** की धारा **8(1)** के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की और श्री नीलम संजीवा रेड्डी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था। **यह प्रथम बार था जब किसी अभ्यर्थी को भारत के सर्वोच्च पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था।**

घोषणा

मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा **21-07-1997** को भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्री नीलम संजीवा रेड्डी के निर्वाचन की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसे गृह सचिव को भेजा गया था। गृह सचिव ने **25-07-1997** को राष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के समय इस घोषणा को पढ़ा।

आठवां राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1982

छठे राष्ट्रपति श्री नीलम संजीवा रेड्डी का कार्यकाल **24.07.1982** को समाप्त होना था। इस तारीख से पहले आठवें राष्ट्रपतीय निर्वाचन कराए जाने थे।

रिटर्निंग अधिकारी

महासचिव, राज्य सभा

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

श्रीमती के.के. चोपड़ा, अपर सचिव, राज्य–सभा और **22** राज्यों की विधान-सभाओं के सचिव।

निर्वाचन कार्यक्रम

1.	अधिसूचना की तारीख	09-06-1982
2.	नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि	23-06-1982
3.	नाम निर्देशनों की जांच/संवीक्षा	24-06-1982
4.	नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	26-06-1982
5.	मतदान की तारीख	12-07-1982 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक)
6.	मतगणना की तारीख	15-07-1982

निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मंडल में लोक सभा के **524**, राज्य सभा के **232** और **22** राज्य विधान सभाओं के **3827** निर्वाचित सदस्य सम्मिलित थे। इस प्रकार कुल निर्वाचक **4583** थे।

प्रत्येक संसद सदस्य हेतु मतों की संख्या

प्रत्येक संसद सदस्य के **702** मत थे और राज्य विधान सभाओं के प्रत्येक सदस्य के लिए मतों की संख्या उस के राज्य की जनसंख्या के आधार पर भिन्न-भिन्न थी। मतों का न्यूनतम मूल्य सिक्किम राज्य के विधान सभा सदस्यों के लिए **(07)** था और मतों का उच्चतम मूल्य उत्तर प्रदेश राज्य के विधान सभा सदस्यों का **(208)** था। इन मतों के मूल्य की गणना **1971** की जनगणना के आधार पर की गई थी। असम विधान सभा विघटित थी।

अभ्यर्थी

	अभ्यर्थी का नाम	**प्राप्त मत**
1.	ज्ञानी जैल सिंह	**7,54,113**
2.	श्री एच.आर.खन्ना	2,82,685
	कुल	**10,36,798**

ज्ञानी जैल सिंह को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा **15.07.1982** को निर्वाचित घोषित किया गया। उन्होंने **25.07.1982** को कार्यभार ग्रहण कर लिया था।

नौवां राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1987

सातवें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिहं का कार्यकाल **24.07.1987** को समाप्त होना था। इस तारीख से पहले नौवां राष्ट्रपति निर्वाचन होना था।

रिटर्निंग अधिकारी

डा० सुभाष कश्यप, महासचिव, लोक सभा

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

श्री एन.एन. मेहरा, संयुक्त सचिव, लोक सभा और केरल राज्य को छोड़कर जहां विधान सभा के सचिव का पद रिक्त था, वहां के अपर सचिवों को और अन्य राज्यों की विधान सभाओं के सचिवों को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था।

निर्वाचन कार्यक्रम

1.	अधिसूचना जारी करने की तारीख	10-06-1987
2.	नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि	24-06-1987
3.	नाम निर्देशनों की जांच/संवीक्षा	25-06-1987
4.	नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	27-06-1987
5.	मतदान की तारीख	13-07-1987 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक)
6.	मतगणना की तारीख	16-07-1987

निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मंडल में लोक सभा के **543**, राज्य सभा के **233** और **25** राज्य विधान सभाओं के **3919** निर्वाचित सदस्य थे। इस प्रकार कुल निर्वाचक **4695** थे।

प्रत्येक संसद सदस्य हेतु मतों की संख्या

प्रत्येक संसद सदस्य के **702** मत थे और राज्य विधान सभाओं के प्रत्येक सदस्य के लिए मतों की संख्या उस के राज्य की जनसंख्या के आधार पर भिन्न-भिन्न थी। मतों का न्यूनतम मूल्य सिक्किम राज्य के विधान सभा सदस्यों के लिए

(07) था और मतों का उच्चतम मूल्य उत्तर प्रदेश राज्य के विधान सभा सदस्यों का **(208)** था। इन मतों के मूल्य की गणना **1971** की जनगणना के आधार पर की गई थी।

अभ्यर्थी

	अभ्यर्थी	**प्राप्त मत**
1.	श्री आर.वेंकटारमण	**7,40,148**
2.	श्री वी.कृष्णा अय्यर	2,**81**,550
3.	श्री मिथलेश कुमार	**2,223**
	कुल	**10,23,921**

श्री आर. वेंकटारमण को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा **16.07.1987** को निर्वाचित घोषित किया गया और उन्होंने अपना कार्यभार **25.07.1987** को ग्रहण किया।

इस निर्वाचन की कुछ मुख्य विशेषताएं

निरर्हक सदस्यों द्वारा मतदान करने की पात्रता

दल-बदली के आधार पर अध्यक्ष ने पंजाब विधान सभा के **22** सदस्यों को निरर्हित घोषित किया था। उनकी विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई के दौरान, उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक **07.05.1987** के अंतरिम आदेश में निर्णय दिया कि यदि इस मामले की सुनवाई से पहले राष्ट्रपति का कोई निर्वाचन होता है तो निरर्हित घोषित सदस्य मतदान में भाग लेने और अपना मत डालने के वैसे ही पात्र होंगे जैसे कि उन्हें निरर्हित घोषित ही ना किया गया हो। आयोग के स्पष्टीकरण मांगने पर उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक **22.06.1987** के आदेश में कहा कि उनके मतदान में भाग लेने की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के नामों को प्रस्तावित करना एवं समर्थन देना भी शामिल है। इन सदस्यों द्वारा दिए गए मतों को अलग से चिह्नित किया जाए एवं गणना के पश्चात तब तक अलग रखा जाए जब तक मामले का अंतिम निपटान न हो जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस मामले की सुनवाई के समय आवश्यकतानुसार और आगे निदेश दिए जा सकते हैं।

उपरोक्त निदेशों के अनुसरण में, संबंधित विधान सभा के **22** सदस्यों के नाम निर्वाचक मंडल के सदस्यों की सूची में शामिल कर दिए गए थे।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों को प्रभावी बनाने के लिए आयोग ने सहायक रिटर्निंग अधिकारी अर्थात् पंजाब विधान सभा के सचिव द्वारा अनुपालन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की:-

i) उपर्युक्त **22** सदस्यों को जारी प्रत्येक मत पत्र या डाक पत्र, यदि उनमें से किसी को उसकी निवारक रोक के अधीन होने के आधार पर जारी किया गया है और उसके प्रतिपर्ण के पीछे एक रबड़ स्टांप लगाकर स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा, यह रबड़ स्टांप निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाएगा जिस पर लिखा होगा "उच्चतम न्यायालय के निदेश के अधीन मत डालने की अनुमति दी गई"।

ii) उपर्युक्त **22** सदस्यों को मत पत्र जारी करने के लिए चण्डीगढ़ में निर्वाचकों के उपयोग हेतु दिए गए अंतिम **25** मत पत्रों को एक अलग पैकेट में एक तरफ रखा जाएगा।

iii) संबंधित **22** सदस्यों को मत पत्र जारी करने के लिए एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। उसको पंजाब विधान सभा सदस्यों की सूची की आपूर्ति की जाएगी।

iv) एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी अन्य मतदान अधिकारी एवं मतदान एजेंटों के समीप बैठेगा ताकि अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मतदान एजेंट नियुक्त करने की आवश्यकता न हो।

v) उक्त **22** सदस्यों के लिए मत पत्र जारी करने और उन्हें चिह्नित करने तथा इन्हें मत पेटी में डालने की प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी अन्य सदस्यों पर लागू है।

vi) मतदान की समाप्ति के पश्चात, उपर्युक्त अतिरिक्त मतदान अधिकारी को दी गई निर्वाचकों की सूची की चिह्नित प्रति, उपर्युक्त सदस्यों को जारी मत पत्रों के प्रतिपर्ण तथा उक्त अतिरिक्त मतदान अधिकारी के पास बचे हुए अप्रयुक्त मत पत्रों को सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक अलग पैकेट में रखकर सील कर दिया जाएगा तथा इन्हें राष्ट्रपतीय एवं उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियमावली **1974** के नियम **21(1)** में निर्दिष्ट विधि के अनुसार सुरक्षित रखा जाएगा और मतदान केन्द्रों से संबंधित अन्य निर्वाचन रिकार्ड सहित रिटर्निंग अधिकारी को भेजा जाएगा।

निर्वाचन आयोग के ऊपर उल्लिखित आवेदन पर, जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया कि पंजाब विधान सभा के सदस्यों द्वारा डाले गए मतों पर क्या रिटर्निंग अधिकारी इस निर्वाचन के परिणामों को

निर्णीत करने एवं इसकी घोषणा के उद्देश्य हेतु विचार कर सकता है, पर उच्चतम न्यायालय के लंबित इस निर्णय को देखते हुए कि यदि न्यायालय यह निदेश जारी करता है कि 22 निरर्हित सदस्यों द्वारा डाले गए मतों की गणना की जानी चाहिए तो आयोग ने मतगणना करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्दिष्ट की है:

i) पंजाब विधान सभा के सदस्यों द्वारा डाले गए मत पत्रों की मत पेट्टी को जब खोला जाए तो इसमें रखे हुए मत पत्रों की संख्या का डाले गए मतों की संख्या से मिलान किया जाए।

ii) इसके पश्चात, मोड़े हुए मत पत्रों को इस प्रकार से खोला जाए कि इन पर चिह्नित वरियता नजर न आए। इस प्रयोजन हेतु खुले मत पत्रों के अग्र भाग को नीचे की ओर रखा जाए।

iii) इसके बाद खोले गए मत पत्रों की विस्तृत संवीक्षा की जाएगी। यह संवीक्षा दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण में, मत पत्रों के पीछे की विषय वस्तु के संदर्भ में मत पत्रों की प्रामाणिकता का पता लगाया जाएगा लेकिन उन पर लगे चिह्न को देखा नहीं जाएगा अथवा उसकी संवीक्षा नहीं की जाएगी। दूसरे चरण में, सभी मत पत्रों को इक्कठे एक बंडल में रखा जाएगा और ऊपर के भाग को पलटकर नीचे कर दिया जाएगा तथा उसके बाद विस्तृत संवीक्षा हेतु ले जाया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि पलटी हुई साइड दिखाई न दें अथवा किसी के द्वारा देखी न जा सके। इसके पश्चात मतगणना विनिर्दिष्ट प्रक्रिया में आगे बढ़ेगी।

किन्तु, यदि उच्चतम न्यायालय आदेश देता है कि 22 सदस्यों के इन मत पत्रों की गणना नहीं की जाए तो इन्हें इनके पीछे लगी रबड़ स्टांप को देखकर बाहर निकाल लिया जाएगा लेकिन न तो इन्हे खोला जाएगा और न ही उन पर चिह्नित वरियता को देखा जाएगा या उनकी संवीक्षा की जाएगी।

यद्यपि, उच्चतम न्यायालय ने 14 जुलाई, 1987 को आदेश दिया कि सदस्यों द्वारा डाले गए मतों की गिनती की जाए लेकिन गणना के बाद उन्हें अलग रखा जाए। उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति 15 जुलाई, 1987 को रिटर्निंग अधिकारी को भेज दी गई थी।

उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन शून्य घोषित किया गया लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी कर दिया गया।

निर्वाचक मंडलके पांच सदस्य आंध्र प्रदेश विधान सभा के दो और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और पंजाब विधान सभा का एक-एक सदस्य, अपने मत डालने के पात्र नहीं थे क्योंकि सम्बन्धित उच्च न्यायालयों द्वारा उनके निर्वाचनों को शून्य घोषित कर दिया था। लेकिन उच्च न्यायालयों के आदेशों पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी।

मुख्य विशेषताएं

आकाशवाणी प्रसारण/ दूरदर्शन प्रसारण सुविधाएं

श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों में से एक, ने आयोग से अनुरोध किया कि उन्हें आकाशवाणी/दूरदर्शन पर अपने विचार व्यक्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

आयोग के परामर्श से, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1977 में तैयार की गई एक योजना के अंतर्गत, इस प्रकार के आकाशवाणी प्रसारण/दूरदर्शन प्रसारण की सुविधा केवल लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के दौरान मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को ही उपलब्ध कराई जाती है, किन्तु यह सुविधा अन्य निर्वाचनों के लिए नहीं दी जाती। एक अन्य अभ्यर्थी श्री वी.आर. कृष्णा अय्यर ने सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री(श्री अजीत कुमार पांजा)

से अनुरोध किया था कि निर्वाचन लड़ने वाले तीनों अभ्यर्थियों को आकाशवाणी/दूरदर्शन पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए और यह सूचना मिली कि सरकार ने उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था तथा तद्नुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने विचारों को प्रसारित करने की सुविधा नहीं दी गई थी।

दसवां राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1992

आठवें राष्ट्रपति, श्री आर. वेंकटरमन का कार्यकाल **24.07.1992** को पूरा हो रहा था। दसवें राष्ट्रपति का निर्वाचन उस तारीख से पहले आयोजित किया जाना था।

रिटर्निंग अधिकारी

महासचिव, राज्य सभा

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

राज्य सभा सचिवालय के दो निदेशक और राज्य विधान सभाओं के सचिवों को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया।

निर्वाचन कार्यक्रम

1.	अधिसूचना की तारीख	**10-06-1992**
2.	नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि	**24-06-1992**
3.	नाम निदेशनों की जांच/संवीक्षा	**25-06-1992**
4.	नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	**27-06-1992**
5.	मतदान की तारीख	**13-07-1992** (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक)
6.	मतगणना की तारीख	**16-07-1992**

निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मंडल में लोक सभा के **(543)** राज्य सभा के **(233)** और **25** राज्य विधान सभाओं के **(3972)** निर्वाचित सदस्य शामिल थे। इस प्रकार कुल निर्वाचक **4748** थे।

प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या

संसद के प्रत्येक सदस्य के **702** मत थे और राज्य विधान सभाओं के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या जनसंख्या के आधार पर अलग-अलग राज्य की अलग-अलग थी। मतों का न्यूनतम मूल्य सिक्किम राज्य के विधान सभा सदस्यों का **(07)** था और मतों का उच्चतम मूल्य उत्तर प्रदेश के विधान सभा सदस्यों के लिए **(208)** था। मतों का मूल्य **1971** की जनगणना के आधार पर निकाला गया था। इस निर्वाचन के समय पर जम्मू-कश्मीर और नागालैण्ड राज्यों की विधान सभाएं विघटित थी।

अभ्यर्थी

क्र.सं.	**अभ्यर्थी**	**प्राप्त किए गए मत**
1.	डॉ. शंकर दयाल शर्मा	**6,75,804**
2.	श्री जी.जी. स्वेल	**3,46,485**
3.	श्री राम जेठमलानी	**2,704**
4.	काका जोगिंदर सिंह उर्फ धरती पकड़	**1,135**
	कुल	**10,26,188**

डॉ. शंकर दयाल शर्मा को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक **16.07.1992** को निर्वाचित घोषित किया गया। दिनांक **25.07.1992** को उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया था।

ग्यारहवां राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1997

नौवें राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल दिनांक **24.07.1997** को पूरा हो रहा था। ग्यारहवां राष्ट्रपतीय निर्वाचन उस तारीख से पहले आयोजित किया जाना था।

विधि में परिवर्तन

भारत के राष्ट्रपित ने राष्ट्रपतीय और उप राष्ट्रपतीय अधिनियम, **1952** को फिर से संशोधन करने के लिए दिनांक **5** जून, **1997** को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया। संसद ने इस अध्यादेश का **29.08.1991** को अनुमोदन किया। अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन किए गए।

- () राष्ट्रपतीय निर्वाचन के मामले में, किसी नाम निर्देशन पत्र के लिए प्रस्तावकों और समर्थकों की संख्या को दस प्रस्तावकों से बढ़ाकर पचास प्रस्तावक और दस समर्थकों से बढ़ाकर पचास समर्थक किया गया।
- () उपराष्ट्रीय निर्वाचन के मामले में भी, किसी नाम निर्देशन-पत्र के लिए इसी तरह प्रस्तावकों और समर्थकों की संख्या को पांच प्रस्तावकों और पांच समर्थकों से बढ़ाकर बीस प्रस्तावक और बीस समर्थक कर दिया गया।
- () प्रतिभूति की राशि **2500**/- रूपये से बढ़ाकर **15,000**/- रूपये कर दी गयी।

रिटर्निंग अधिकारी

श्री एस. गोपालन, महासचिव, लोक सभा

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

लोक सभा सचिवालय के दो संयुक्त सचिव और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी सहित सभी राज्य विधान सभाओं के सचिव/विशेष सचिव।

निर्वाचन कार्यक्रम

1.	अधिसूचना की तारीख	09-06-1997
2.	नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि	23-06-1997
3.	नाम निदेशनों की जांच/संवीक्षा	24-06-1997
4.	नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	26-06-1997
5.	मतदान की तारीख	14-07-1997 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक)
6.	मतगणना की तारीख	17-07-1997

निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मंडल में लोक सभा के **(543)** राज्य सभा के **(233)** तथा **27** राज्य विधान सभाओं के **(4072)** सदस्य थे। इस प्रकार कुल निर्वाचक **4848** थे।

प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या

प्रत्येक संसद सदस्य के मतों की संख्या **708** थी तथा विभिन्न राज्य विधान सभाओं के सदस्यों के मतों की संख्या **1971** जनगणना के आधार पर भिन्न-भिन्न थी।

अभ्यर्थी

क्र.सं.	**अभ्यर्थी**	**प्राप्त मत**
1.	श्री के.आर. नारायणन	**9,56,290**
2.	श्री टी.एन. शेषन	**50,631**
	कुल	**10,06,921**

श्री के.आर. नारायणन को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा **22-07-1997** को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। उन्होंने **25-07-1997** को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया था।

बारहवां राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2002

दसवें राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन का कार्यकाल **24.07.2002** को समाप्त होना था। बारहवां राष्ट्रपतीय निर्वाचन उससे पहले आयोजित किया जाना था।

रिटर्निंग अधिकारी

श्री आर.सी. त्रिपाठी, महासचिव, राज्य सभा

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

राज्य सभा सचिवालय में एक अपर सचिव तथा एक संयुक्त सचिव और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र त्था संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधान सभाओं में अपर सचिव/संयुक्त सचिव, उप सचिव स्तर के एक अधिकारी के साथ प्रत्येक राज्य विधान सभा के सचिव।

निर्वाचन कार्यक्रम

1.	अधिसूचना की तारीख	11-06-2002
2.	नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि	25-06-2002
3.	नाम निर्देशनों की जांच/संवीक्षा	26-06-2002
4.	नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	28-06-2002
5.	मतदान की तारीख	15-07-2002 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक)
6.	मतगणना की तारीख	18-07-2002

निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मंडल में लोक सभा के **(543)**, राज्य सभा के **(233)**, तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी सहित **30** राज्य विधान सभाओं के **(4120)** सदस्य शामिल थे। इस प्रकार कुल निर्वाचक **(4896)** थे।

प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या

संसद के प्रत्येक सदस्य के **708** मत थे और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों के मतों की संख्या वर्ष **1971** की जनगणना के आधार पर अलग-अलग थी।

अभ्यर्थी

	अभ्यर्थी	**प्राप्त मत**
1.	डॉ.ए.पी.जे अब्दुल कलाम	**9,22,884**
2.	श्रीमती लक्ष्मी सहगल	**1,07,366**
	कुल	**10,30,250**

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को **18** जुलाई, **2002** को निर्वाचित घोषित

कर दिया गया । उन्होंने अपना कार्यभार 25 जुलाई, 2002 को ग्रहण कर लिया था।

तेरहवां राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2007

ग्यारहवें राष्ट्रपति, श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का कार्यकाल 24.07.2007 को पूरा हो जाना था। तेरहवें राष्ट्रपतीय निर्वाचन (चूंकि प्रथम राष्ट्रपति, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद दो बार चुने गए) इस तारीख से पहले आयोजित किए जाने थे।

रिटर्निंग अधिकारी

श्री पी.डी.टी. अचारी, महासचिव, लोक सभा

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

लोक सभा सचिवालय में दो संयुक्त सचिव तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी सहित प्रत्येक राज्य विधान सभा के अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव स्तर के एक अधिकारी सहित प्रत्येक विधान सभा के सचिव।

निर्वाचन कार्यक्रम

1.	अधिसूचना की तारीख	16-06-2007
2.	नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि	30-06-2007
3.	नाम निर्देशनों की जांच/संवीक्षा	02-07-2007
4.	नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	04-07-2007
5.	मतदान की तारीख	19-07-2007 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक)
6.	मतगणना की तारीख	21-07-2007

निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मंडल में लोक सभा के **(543)**, राज्य सभा के **(233)** तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी सहित **30** राज्य विधान सभाओं के **(4120)** सदस्य थे। इस पर कुल निर्वाचक **4896** थे।

प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या

प्रत्येक संसद सदस्य के कुल **708** मत थे तथा राज्य विधान सभाओं के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या **1971** जनगणना के आधार पर अलग-अलग थी।

अभ्यर्थी

	अभ्यर्थी	**प्राप्त मत**
1.	श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल	**6,38,116**
2.	श्री भैरों सिंह शेखावत	**3,31,306**
	कुल	**9,69,422**

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को रिटर्निंग अधिकारी ने **21** जुलाई, **2007** को निर्वाचित घोषित कर दिया। उन्होंने **25**, जुलाई **2007** को कार्यभार संभाल लिया था।

चौदहवां राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2012

बारहवीं राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का कार्यकाल **24.07.2012** को समाप्त होना था। इसी तारीख से पहले चौदहवें राष्ट्रपतीय निर्वाचन **(**क्योंकि प्रथम राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद दो बार निर्वाचित हुए थे**)** कराए जाने थे।

रिटर्निंग अधिकारी

डा० विवेक के**.** अग्निहोत्रि, महासचिव, राज्य सभा

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

राज्य सभा सचिवालय में दो संयुक्त सचिव और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र और पाण्डिचेरी सहित राज्य विधान सभाओं के अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप-सचिव स्तर के एक अधिकारी सहित प्रत्येक राज्य विधान सभाओं के सचिव

निर्वाचन कार्यक्रम

1.	अधिसूचना की तारीख	16-06-2012
2.	नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि	30-06-2012
3.	नाम निर्देशनों की जांच/संवीक्षा	02-07-2012
4.	नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	04-07-2012
5.	मतदान की तारीख	19-07-2012 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक)
6.	मतगणना की तारीख	22-07-2012

निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मंडल में लोक सभा के **543**, राज्य सभा के **233** और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र, पांडिचेरी सहित **30** राज्य विधान सभाओं के **4120** निर्वाचित सदस्य सम्मिलित थे। इस प्रकार कुल निर्वाचक **4896** थे।

नाम निर्देशन पत्रों की जांच

नाम निर्देशन पत्रों की जांच के दिन श्री प्रणब मुखर्जी के एक अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने पर उनकी पात्रता के संबंध में एक आपत्ति की गई थी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान परिषद के अध्यक्ष होने के कारण वे लाभ के पद पर कार्य कर रहे हैं। श्री प्रणब मुखर्जी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के अनुरोध पर रिटर्निंग अधिकारी ने जांच कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी थी और उस दिन आपत्ति को अस्वीकार करते हुए कार्रवाई पूरी की।

प्रत्येक संसद सदस्य हेतु मतों की संख्या

संसद के प्रत्येक सदस्य के **708** मत थे और राज्य विधान सभाओं के प्रत्येक सदस्य के लिए मतों की संख्या उसके राज्य की वर्ष **1971** की जनसंख्या के आधार पर भिन्न-भिन्न थी।

अभ्यर्थी

क्र.सं.	अभ्यर्थी	प्राप्त मत
1.	श्री प्रणब मुखर्जी	**7,13,763**
2.	श्री पूरनो अगितोक संगमा	**3,15,987**
	कुल	**10,29,750**

श्री प्रणब मुखर्जी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा **22.07.2012** को निर्वाचित घोषित किया गया। उन्होंने **25.07.2012** को कार्यभार ग्रहण कर लिया था।